

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 01/10/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 30.09.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2024 धारा 70(2)/74/351(3) बीएनएस व 5M/6, 9/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू राम पुत्र स्व टेलहू राम निवासी ग्राम पलिवार थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को दिनांक 29.09.2024 को समय 21.16 बजे हाजीपुर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. बबलू राम पुत्र स्व0 टेलहू राम निवासी ग्राम पलिवार थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 119/2024 धारा 70(2)/74/351(3) बीएनएस व 5M/6, 9/10 पाक्सो एक्ट

02. गाजीपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त 1.राजेश सिंह यादव,2. सुभाष सिंह यादव पुत्रगण सीता राम सिंह यादव नि0गण ग्राम देवकली थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर द्वारा अपने नाम से अर्जित की अचल सम्पत्ति जिसकी वर्तमान बजारु कीमत 50 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में अंतर्गत मु0अ0सं0 01/2024 धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के अभियुक्तगण 1. राजेश सिंह यादव,2.सुभाष सिंह यादव पुत्रगण सीता राम सिंह यादव नि0गण ग्राम देवकली थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर से अचल सम्पत्ति अ0नं0 341 रकबा 0.3140 हे0 अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई थी, जिसको आज दिनांक 30.09.2024 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर महोदय के आदेश

पत्रक न्यायालय: जिलाधिकारी मण्डल: वाराणसी जनपद:तहसील: वाद:1503/2024 सरकार बनाम राजेश सिंह यादव व अन्य अन्तर्गत धारा: 14(1), अधिनियम गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, दिनांकित 26.09.2024 के अनुपालन मे कुर्क किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के नाम पर क्रय किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण:-

1. मौजा देवकली परगना व तहसील सैदपुर गाजीपुर स्थित आराजी नं0 341 रकबा 0.3140 हे0 विक्रेता सुमन देवी पत्नी राकेश सिंह यादव नि0 ग्राम व पोस्ट देवकली परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर से अभियुक्तगण 1.राजेश सिंह यादव व सुभाष सिंह यादव निवासी गण देवकली थाना रामपुर मांझा द्वारा स्वयं के नाम से दिनांक 27.05.2022 को क्रय किया गया।

कुर्क की गई सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य:- 19,13,830/रुपये (उन्नीस लाख तेरह हजार आठ सौ तीस रुपये) है। जिसकी वर्तमान बाजार दर पर प्रचलित कीमत 50,0000/रु0 (पचास लाख) रुपये है।

अभियुक्त राजेश सिंह यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 302/2015 धारा 147, 323, 325 IPC थाना नंदगंज गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 05/2023 धारा 8/23 NDPS Act थाना रामपुर मांझा गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 01/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मांझा गाजीपुर

अभियुक्त सुभाष सिंह यादव का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 302/2015 धारा 147, 323, 325 IPC थाना नंदगंज गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 05/2023 धारा 8/23 NDPS Act थाना रामपुर मांझा गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 01/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मांझा गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर